

अनिवार्य होगी।

161 विद्यालय का अनुशासन तथा शिष्टता का स्तर उच्च हो कि
का रखा जायेगा।

162 विद्यालय प्रतिक्रिया

111 विद्यालय की प्रबन्धन समिति रजिस्टर्ड होगी। प्रत्येक वर्ष-वर्ष पर
विद्यार्थियों के उत्तर मधीनीकरण भी कराया जायेगा।

121 विद्यालय में प्रत्येक छात्र व अनुशासन के लिए उचित आचार का
एक कक्षा कर, दो कक्षाक किनासा कर, पुस्तकालय का कर तथा व
वार अनुशासनिक कर की व्यवस्था की जायेगी।

131 छात्रावासों का सेवा शर्तों काई जायेगी तथा उन्हें अत्याधुनिक
सुविधाएं प्राप्त विद्यालयों के छात्रावासों को अनुभव सेवा-
विद्यार्थियों का उपाय कराये जायेगा।

141 विद्यालय का सेवा-शर्तों काई जायेगी। प्रत्येक वर्ष-वर्ष में
कराया जायेगा।

2- उक्त शर्तों का पालन किया जाता रहेगा और किसी भी समय उक्त
शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा
प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

अधिकांश,

1 सचिव, प्रमुख, प्रमुख
उप निदेश

NO-309311/15-17-87तद दिनांक

प्रतिनिधि विद्यालयों की सूची प्रेषित:-

- 1- विद्यालय निदेश, उद्योग, अनापत्ति
- 2- उप विद्यालय निदेश, निदेश, निदेश
- 3- विद्यालय निदेश, निदेश, निदेश
- 4- निदेश, अनापत्ति विद्यालय, उद्योग, अनापत्ति
- 5- प्रबन्धन, निदेश, निदेश, अनापत्ति, अनापत्ति

जाय है.

1 सचिव, प्रमुख, प्रमुख
उप निदेश

P. Walpani
Principal
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar

S. Jais
Manager
St. Mary's Sr. Sec. School
Jwalapur, Haridwar